कार्यालय नगर परिषद् ठीकरी जिला-बड़वानी (म.प्र.)

Email Id – cmotheekri@mpurban.gov.in

Telephone No. 07284-299029

क्रमांक / 706 / राजस्व / 2022 ठीकरी दिनांक 20 / 01 / 2022

/ / कर आरोपण की सूचना का प्रकाशन / /

एतद्द्वारा नगर परिषद् ठीकरी जिला बड़वानी म.प्र. के निवासियों को सूचित किया जाता है, कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं प्रभावशील म.प्र. नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के अन्तर्गत नगर परिषद सीमा में संपत्तिकर के निर्धारण संग्रहण करने के यथाशक्त समान अवस्थिति निर्माण की गुणवत्ता एवं उपयोग के अनुसार संपत्तियों का वार्षिक भाडा मुल्यांकन हेतु प्रति वर्गफीट से गणना किया जाने हेतु संकल्प अंगीकृत किया जाता है। साथ ही संपत्तिकर के साथ लगने वाले कर व अन्य कर जैसे समेकितकर, नगरीय विकास उपकर, शिक्षा उपकर, कचरा संग्रहण शुल्क, जल उपभोक्ता प्रभार का निर्धारण भी किया संकल्प क्रमांक 64 दिनांक 30 / 12 / 2021 द्वारा किया गया है। उक्त अधिरोपित कर एवं शुल्क नगर सीमा क्षेत्र में स्थित भूमि एवं भवनों पर वर्ष 2022–2023 (1 अप्रैल 2022) से प्रभावशिल होंगे। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :–

म.प्र. नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 का नियम 3 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र का वर्गीकरण –

झोन क्रं. 01 में सम्मिलिति क्षेत्र :–

4. पुराना ए.बी. रोड़ के दोनो साईड वार्ड क्रं. 1,2,3,4 एवं चौपाटी से दवाना रोड़ से माँ शक्ति पेट्रोल पम्प तक रोड़ के दोनो साईड तक।
5. चौपाटी से पुराना बस स्टेण्ड से गांधी चौक रोड़ साईड वार्ड क्रं. 3,4,5,6
6. पुराना बस स्टेण्ड से गांधी चौक रोड़ के दोनो साईड वार्ड क्रं. 6,7,8

झोन क्रं. 02 में सम्मिलिति क्षेत्र :–

समस्त आवासीय कॉलोनियां – वार्ड क्रं. 9,10,11,7,8,3,5,6,4
जैसे सांई कृपा विहार, विवेकानंद कॉलोन, गोपी विहार कॉलोनी का अंदर का क्षैत्र।
वार्ड क्रं. 01 – गौमाता कॉलोनी एवं विवेकानंद कॉलोनी, प्रेम नगर
वार्ड क्रं. 02 – गोपी विहार, साईकृपा विहार कॉलोनी
वार्ड क्रं. 03 – मोती नगर एवं मिथिलेष नगर, ब्रजधाम कॉलोनी, वृन्दावन कॉलोनी।
वार्ड क्रं. 04 – सियाराम कॉलोनी, नागरधाम कॉलोनी

झोन क्रं. 03 में सम्मिलित क्षैत्र – समस्त आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र जो झोन क्रं. 01 एवं 02 में ना आए।

म.प्र. नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 का नियम 4 एवं 5 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक परिक्षेत्र (झोन) में स्थित भवनों व भूमियों का वर्गीकरण –

झोन क्रं. 01 की दरें :–

झोन क्रं.	R.C.C./R.B.C. फर्शी युक्त पक्के भवन की दर प्रति वर्गफीट वार्षिक		लोहे की चद्दर/ सीमेंट शीट/टाईल्स लगे पक्के भवन की दर प्रति वर्गफीट वार्षिक में		क्रमांक 1 एवं 2 के अतिरिक्त कच्चे भवन की दर प्रति वर्गफीट वार्षिक		खुली भूमि/भू–खण्ड की दर प्रति वर्गफीट में वार्षिक	
	भवन		भवन		भवन		भू–खण्ड	
	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी
झोन क्रं. 01	10 रू.	12 रू.	8 रू.	10 रू.	6 रू.	8 रू.	5 रू.	6 रू.
झोन क्रं. 02	8 रू.	10 रू.	6 रू.	8 रू.	5 रू.	6 रू.	4 रू.	5 रू.
झोन क्रं. 03	6 रू.	7 रू.	5 रू.	6 रू.	3 रू.	4 रू.	2 रू.	3 रू.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ठीकरी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

प्रशासक
नगर परिषद्, ठीकरी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

नोट :–

9. नियम–6 के अनुसार भवन/भूमियों पर उनके वार्षिक भाड़ा मूल्य के अनुसार 6 प्रतिशत की दर वार्षिक सम्पत्ति कर देय होगा।
10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक भवन/भू–खण्ड पर सामान्य स्वच्छता उपकर, सामान्य प्रकाश कर तथा सामान्य अग्नि कर की एक्जाई दर समेकित कर 120 रू. (अक्षरी रू. एक सौ बीस रू.) की दर से प्रतिवर्ष संपत्ति कर के साथ में देय होगा।
11. **नगरीय विकास उपकर** – संपत्ति कर के दायरे में आने वाले भवन/भूमि पर अधिरोपित किया जायेगा – (1) भवन या भूमि जिस भाग का संपत्ति स्वामी द्वारा स्वयं उपयोग किया जा रहा हो शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य का 1 प्रतिशत एवं (2) भवन या भूमि जिस भाग का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा हो शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगा।
12. **शिक्षा उपकर** – संपत्ति कर के दायरे में आने वाले भवन/भूमि पर अधिरोपित किया जायेगा – (1) भवन या भूमि जिस भाग का संपत्ति स्वामी द्वारा स्वयं उपयोग किया जा रहा हो शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य का 1 प्रतिशत एवं (2) भवन या भूमि जिस भाग का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा हो शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगा।
13. भवन या भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य **मध्यप्रदेश नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020** के नियम 5 के अनुसार किया जायेगा।
14. यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में एक से अधिक, भवन या भूमि का स्वामी है तब ऐसा प्रत्येक स्वामी अपने प्रत्येक भवन या भूमि के लिए पृथक–पृथक विवरणी सहित कर की राशि का भुगतान करेगा धारा 127 के परंतुक अनुसार छूट के प्रयोजन के लिये उसके समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य को ही आधार माना जाएगा।
15. यदि कोई करदाता संपत्तिकर वित्तिय वर्ष समाप्ति के पूर्व दिनांक 31 मार्च तक जमा नही करते है तो तत्पश्चात 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।
16. भवन या भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य **मध्यप्रदेश नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020** के नियम 5 के अनुसार किया जायेगा।

4. **जलकर** – जलकर मासिक दर घरेलु 100 रू. प्रतिमाह एवं व्यावसायिक 300 रू. प्रतिमाह देय होगा एवं माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 15 तारीख तक जलकर राशि जमा नहीं किये जाने पर 25 प्रतिशत अधिभार सहित जमा करना होगा। नल कनेक्शन का विच्छेदन किये जाने पर विच्छेदन शुल्क एवं संयोजन शुल्क 500 रू. लिया जावेगा साथ ही घरेलू नल कनेक्शन हेतु धरोहर राशि 1200 रू. एवं संयोजन शुल्क 300 रू. एवं गैर घरेलू कनेक्शन हेतु धरोहर राशि 2000 रू. एवं संयोजन शुल्क 500 रू. लिया जावेगा।

5. **डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण शुल्क** – डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण शुल्क की दरे इस प्रकार रहेगी –

   4. संपत्ति कर में छूट प्राप्त करदाताओं से 120 रू. वार्षिक।
   5. संपत्ति कर के दायरें में आने वाले आवासीय उपयोग वाले भवनों के करदाताओं से 240 रू. प्रतिवर्ष।
   6. संपत्ति कर के दायरे में व्यावसायिक उपयोग वाले भवनों के करदाताओं से 360 रू. वार्षिक लिया जायेगा।

6. **स्वत्वाधिकार (हक) के अंतरण की सूचना** – किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का स्वत्व अंतरित किये जाने पर अंतरण लेख की सूचना तीन माह के भीतर लिखित में प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क 500 प्रतिवर्ष की दर से देय होगा।

उक्त प्रस्तावित कर के संबंध में आपकी करने वाला नगरपालिका का कोई निवासी, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् ठीकरी
जिला–बड़वानी म.प्र.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ठीकरी
जिला–बड़वानी (म.प्र.)

प्रशासक
नगर परिषद् ठीकरी
जिला–बड़वानी म.प्र.

प्रशासक
नगर परिषद, ठीकरी
जिला–बड़वानी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner